प्रेस नोट दिनाँक-13.11.2022

(1). दिनाँक-11.11.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया।

(2). आज दिनांक 12.11.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइऩ, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(3). आज दिनाँक-13.11.2022 को यातायात माह नवम्बर के परिप्रेक्ष्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी यातायात श्री एस0पी0 सोनकर की अध्यक्षता में यातायात प्रभारी श्री योगेश कुमार यादव एवं उनकी टीम द्वारा बाल शिक्षा सेवा निशुल्क संस्थान ग्राम खुटहा में यातायात जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों एवं बच्चों को बताया गया कि 02/04 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट/हेलमेेट अवश्य लगाये आपका जीवन बहुमूल्य है इसलिए अपने एवं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाना बहुत ही आवश्यक है। बच्चों को बताया गया कि आपके परिजन जब भी घर से 02 पहिया लेकर निकले तो उनसे हेलमेट लगाने हेतु जरूर याद दिलाये। सड़क पर हमेशा अपनी बायीं तरफ ही वाहन चलाए। जब तक आपकी उम्र 18 वर्ष हो जाए तब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें तब वाहन चलाए। ग्रामवासियों को बताया गया कि अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने हेतु बिल्कुल न दे बच्चें वाहन चलाने के लिए जिद करें तो उन्हे समझाये। सड़क पर वाहन चलाते समय हमेशा सतर्क एवं अपने दिमाग को स्थिर रखे तथा अपने सामने से आने वाले वाहनों पर भी नजर रखे। इसी क्रम में यातायात प्रभारी श्री योगेश कुमार यादव द्वारा बताया गया कि वाहन चलाते समय अधिकतर वाहन चालक अपने मोबाइल में बात करते रहते है जिससे दुर्घटना हो जाती है इसलिए वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का बिल्कुल प्रयोग न करे तथा हेडफोन भी न लगाये। मोबाइल का प्रयोग करने से आपका मन डाइवर्ट हो जाता है और आपका ध्यान मोबाइल में रहता है जिससे अधिकतर दुर्घटना हो जाती है, सड़क पर चलते समय सड़क पर बने यातायात संकेतों का ध्यान रखे तथा संकेतों का पालन करे। शराब पीकर वाहन न चलाए न ही किसी भी व्यक्ति को शराब पीकर वाहन चलाने दे, अक्सर शादी विवाह या किसी सामारोह में जाते समय वाहन चालक शराब का सेवन कर वाहन चलाते है जिससे दुर्घटना होने का खतरा बढ़ जाता है। आप जब भी बाहर जाते है तो आपके परिवार के सदस्य आपके आने का इंतजार करते है इसलिए जब भी बाहर निकले 02/4 पहिया वाहन चलाते समय हेमलेट/सीटबेल्ट

अवश्य लगाये तथा तेज गति से वाहन न चलाए तेज गति से वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटना होने की सम्भावना ज्यादा रहती है, उपस्थित समस्त ग्रामवासियों को बताया गया कि अपने नई उम्र के बच्चों को वाहन से बाहर जाते समय समझाये कि तेज गति से वाहन बिल्कुल न चलाये अधिकतर देखा गया कि नवयुवक तेज गति से वाहन चलाते है जोकि गलत है। यातायात प्रभारी द्वारा संस्थान में पढ़ रहे बच्चों को यातायात नियमों एवं यातायात संकेतों के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी एवं उपस्थित समस्त से यातायात नियमों का पालन करने हेतु बताया गया। संगोष्ठी में संस्थान के बच्चों में एक निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन भी कराया गया जिन बच्चों द्वारा प्रथियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया उन्हें श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय एवं यातायात प्रभारी द्वारा पुरूस्कार देककर उत्साहवर्धन किया गया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

संगोष्ठी में समाजसेवी श्री रामबाबू गुप्ता जी, आरक्षी यातायात आशाराम गौतम, आरक्षी यातायात देवेन्द्र राजपूत, आरक्षी यातायात नौशाद खां व संस्थान के राजकरन जी समस्त शिक्षक गण व ग्रामवासी तथा संस्थान के बच्चें उपस्थित रहे।

(4). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी श्री अवधेश कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन मे उ0नि0 श्री रामअधार सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी फरीउद्दीन द्वारा मु0अ0सं0 479/2022 धारा 376,506 भादवि0 व 4(2) पाक्सो एक्ट के वाँछित अभियुक्त दीपक कुमार तिवारी पुत्र सुशील तिवारी निवासी खोह थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री रामअधार सिंह थाना कोतवाली कर्वी

2. आरक्षी फरीउद्दीन

(5). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी श्री अवधेश कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी सीतापुर श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग श्री हरिश्चन्द्र मिश्रा की संयुक्त टीम द्वारा ट्रैक्टर चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किया गया ट्रैक्टर मय ट्राली बरामद।

उल्लेखनीय हैं दिनाँक-11.11.2022 को शशीदीप सिंह पुत्र दादूराम निवासी नन्दवारा पोस्ट नोहार तहसील नरैनी जनपद बांदा द्वारा कोतवाली कर्वी में सूचना दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा खोही से उसका ट्रैक्टर आयशर 485 सिल्वर रंग नं0 UP96 K 5552 मय ट्राली चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 478/2022 धारा 379 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। घटना के खुलासे एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चौकी प्रभारी सीतापुर एवं चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग के नेतृत्व में संयुक्त टीम गठित की गयी जिसमें पुलिस टीम लगातार प्रयासरत थी कि आज दिनाँक-13.11.2022 को पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त 1. अजय मिश्रा पुत्र राजा भइया निवासी दुगुवा बरहाई थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट 2. प्रवीण कुमार शुक्ला पुत्र इन्द्रपाल निवासी पथरा पालदेव नयागांव जनपद सतना म0प्र0 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किया गया ट्रैक्टर आयशर 485

सिल्वर रंग नं0 UP96 K 5552 मय ट्राली बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

बरामदगीः-

ट्रैक्टर आयशर 485 सिल्वर रंग नं0 UP96 K 5552 मय ट्राली

अभियुक्तों का विवरणः-

1. अजय मिश्रा पुत्र राजा भइया निवासी दुगुवा बरहाई थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट
2. प्रवीण कुमार शुक्ला पुत्र इन्द्रपाल निवासी पथरा पालदेव नयागांव जनपद सतना म0प्र0

अभियुक्त अजय मिश्रा का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 813/2014 धारा 41,411,467,468,413,472 भादवि0 थाना भरतकूप
2. मु0अ0सं0 478/2022 धारा 379,411 भादवि0 थाना कोतवाली कर्वी

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.चौकी प्रभारी सीतापुर श्री प्रवीण कुमार सिंह
2. चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग श्री हरिश्चन्द्र मिश्रा
3. उ0नि0 श्री पवन कुमार प्रधान
4. मुख्य आरक्षी शिवकरन यादव
5. आरक्षी शिवम मिश्रा
6. आरक्षी कुलदीप द्विवेदी
7. आरक्षी गोलू भार्गव
8. आरक्षी रोशन सिंह

(6). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा श्री गुलाबचंद्र सोनकर एवं महिला आरक्षी गुडिया द्वारा पति पत्नी के आपसी झगड़े को समाप्त कराकर पति-पत्नी में सुलह कराते हुये शादी के अटूट बन्धन को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती सीमा पत्नी आशीष निवासी ऐचवारा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट द्वारा अपने पति आशीष पर मारपीट एवं लड़ाई झगड़ा करने के सम्बन्ध में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया जिसपर प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा एवं महिला आरक्षी गुड़िया द्वारा शिकायतकर्ता महिला की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर पति से सम्पर्क करके थाना बहिलपुरवा बुलाया गया एवं दोनों पक्षों को समझाया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में लड़ाई झगड़ा न करने तथा पति-पत्नी के कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा द्वारा दोनो को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी तथा यह भी कहा गया कि आपस में तारतम्यता बनाकर रहें।

समझौता कराने वाली टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा श्री गुलाबचन्द्र सोनकर
2. महिला आरक्षी गुड़िया